राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2020-2021

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2–3
3.	वर्ष 2020–21 की उपलब्धियां	3–4
4.	अभाव स्थिति	4–5
5.	मानसून की स्थिति	5–6
6.	ओलावृष्टि की स्थिति	6
7.	टिड्डी आक्रमण, कोविड–19, आपदा प्रबन्धन, पी.एम. केयर फण्ड	6–7
8.	पशु संरक्षण गतिविधियाँ	7
9.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	8
10.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	8
11.	राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	9

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	10
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	11
3.	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति	12
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	13
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	14
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	15
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति	16
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	17
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	18
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	19
11.	फसल खराबे के संबंध में प्रतिवेदन (सूखा, ओलावृष्टि एवं टिड्डी)	20–22

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2017–18 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 250.69 लाख हैक्टेयर भूमि में से 106.03 लाख हैक्टेयर ही सकल सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 77.97 लाख हेक्टेयर (97.65 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं । राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 28.04.2017 से आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग कर दिया गया है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट–1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 तथा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट–3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) की उपलब्धियां

1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) की वर्ष 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2020 को बैठक आयोजित की गयी, उक्त बैठक में विभिन्न निर्णय लिये गये। बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय यथा कोविड–19 महामारी उत्पन्न होने के प्रारम्भ से मुख्य सचिव महोदय (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा कोविड–19 रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 15.03.2020 से लगातार जारी किये गये विभिन्न आदेशों का राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया व कार्योत्तर अनुमोदन कराया गया, भारत सरकार से PM CARES FUND में प्राप्त राशि रूपये 49.99 करोड़ में से जिलों की मांग अनुसार जिला कलक्टर्स को आवंटित की गयी राशि का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। रबी फसल 2020 (सम्वत् 2076) में ओलावृष्टि के कारण बोयी गयी फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर राज्य के 15 जिलों के 861 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

2. राज्य कार्यकारी समिति की वर्ष 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2020 को बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–
   - बजट घोषणा संख्या 181/2020–21 की पालना में नागरिक सुरक्षा की क्षमता संवर्धन हेतु 10 करोड़ रूपये के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में नागरिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त खोज एवं बचाव, बाढ़ बचाव, अग्निशमन उपकरणों के 9.98 करोड रू. के प्रस्ताव पर समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी।
   - बजट घोषणा संख्या 181/2020–21 की पालना में वन विभाग को जंगलों में लगने वाली आग को तत्काल नियंत्रित करने हेतु लगभग 3.00 करोड़ रूपये के अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करवाये जाने कें संबंध में वन विभाग द्वारा 110 रेंज/डिविजन हेतु

विभिन्न प्रकार के बचाव एवं अग्निशमन उपकरणों हेतु 2.67 करोड रू. के प्रस्ताव पर समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी।

- बजट घोषणा संख्या 182/2020–21 की पालना में आगजनी की घटनाओं पर रोकथाम हेतु 26.00 करोड़ रूपये की लागत के उच्च क्षमता वाले 100 अग्निशमन वाहन (Fire Tenders) जिलों में उपलब्ध करवाये जाने एवं इनके संचालन हेतु 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
- राज्य के ADMs, SDOs एवं अन्य हेतु 360 वायरलैस सेट क्रय किए जाने हेतु राशि रू. 1.11 करोड़ की स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों में कोविड–19 वाइरस फैलने के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु सं. 01 के (c) Support for Checking, Screening and contact tracing का प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य के समस्त जिलों में कोविड–19 वाइरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु 84 दिवस तक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती पर हुए व्यय राशि रू. 2.46 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9383–424 दिनांक 02.07.2020 के द्वारा रबी फसल सम्वत 2076 में ओलावृष्टि के कारण राज्य के 15 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर, बून्दी, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर करौली नागौर, सीकर एवं सवाईमाधोपुर के 861 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

2. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16229–54 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा जायद फसल सम्वत 2076 में ओलावृष्टि के कारण राज्य के 3 जिलों यथा जयपुर, झुंझुनू एवं सवाईमाधोपुर के 69 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16365–97 दिनांक 29.12.2020 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2077 में ओलावृष्टि के कारण राज्य के श्रीगंगानगर जिले के 20 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

4. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14727–65 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2077 में सूखे के कारण राज्य के 06 जिलों यथा बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड, पाली एवं प्रतापगढ़ की 25 तहसीलो को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

5. राज्य में रबी फसल सम्वत 2076 (वर्ष 2019–20) में टिड्डी दल से प्रभावित जिलों को अधिसूचना क्रमांक 2827–57 दिनांक 3.03.2020 एवं क्रमांक 7087–7150 दिनांक 15.05. 2020 द्वारा राज्य के 8 जिले यथा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, श्रीगंगानगर एवं सिरोही के 960 गांवो को अभावग्रस्त घोषित किया गया ।

6. राज्य में प्रतापगढ़ जिलें में जायद फसल 2020 मे टिड्डी दल के कारण फसल खराबे से प्रभावित 5 गांवों को अधिसूचना क्रमांक 16196–228 दिनांक 28.12.2020 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया ।

7. राज्य में बीकानेर एवं राजसंमद जिलों में टिड्डी दल से फसल खराब होने पर खरीफ फसल सम्वत 2077 (वर्ष 2020) मे 28 गांवों को अधिसूचना क्रमांक 16337–64 दिनांक 29.12.2020 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

मानसून 2020

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 24.06.2020 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक 520.77 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। मानसून अवधि 1 जून, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	जैसलमेर	1
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	बांसवाडा, बाडमेर, चूरू, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ, राजसमंद एवं उदयपुर	10
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	अजमेर, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तोडगढ, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, झुंझूनू, करौली, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर,एवं सिरोही,	13
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	अलवर, बारां ,भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा एवं टोंक	9
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)		0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2020 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11761.08 Mcum की तुलना में 8701.49 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 73.98 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 879. 97 Mcum की तुलना में 360.49 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 40. 97 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 71.69 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2020 को भरा हुआ था।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

राज्य में रबी फसल सम्वत 2076 में 15 जिले यथा अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर, बून्दी, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर करौली नागौर, सीकर एवं सवाईमाधोपुर के 861 गांवों में ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

टिड्डी आक्रमण

- राज्य में वित्तीय वर्ष 2020–21 में टिड्डी दलो के आक्रमण की रोकथाम के लिए टिड्डी से नियंत्रण गतिविधियों यथा वाहन, ट्रेक्टर मय स्प्रेयरों, वाहन टेंकरों को किरायें पर लेकर संचालन करने तथा पौध संरक्षण रसायनों के क्रय करनें हेतु कुल 1136.03 लाख़ रूपये की राशि समस्त जिला कलेक्टर्स को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से आवंटित की गयी है।
- राज्य में रबी फसल सम्वत 2076 (वर्ष 2019–20) में टिड्डी दल आक्रमण से राज्य के 8 जिले यथा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, श्रीगंगानगर एवं सिरोही के 960 गांवो को अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावित कृषकों को कृषि आदान – अनुदान का वितरण किया गया ।

कोविड–19

कोविड – 19 की रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, जनजाति क्षेत्रिय विभाग एवं राजस्थान पुलिस विभाग को उपकरण/पीपीई किट /मास्क/रेपिड टेस्टिंग किट/ लेबोरेट्री वेंटिलेटर/सेनेटाइटर आदि के क्रय हेतु एवं लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों के भोजन आदि की व्यवस्था हेतु जिलों एवं विभागों को कुल 655.98 करोड रूपये का बजट आवंटित किया गया।

आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2020–21 में विभिन्न विभागों यथा जल संसाधन, वन , कार्मिक विभाग, एसडीआरएफ एवं जिला कलक्टर्स को खोज बचाव, बाढ बचाव, अग्निशमन उपकरण, इन्फलेटेबल बोट विद ओबीएम एवं ड्रेगन लाइट, मेगाफोन, गम बूट, बोट, मड पंप, वायरलैस स्टेशन, ड्रोन एवं प्रशिक्षण के लिए 44.06 करोड रुपये की स्वीकृतियॉ जारी की गई।

पी.एम केयर्स मद

प्रवासी श्रमिकों के कल्याण संबंधी गतिविधियों यथा आवास सुविधाओं, भोजन, चिकित्सा, परिवहन आदि हेतु भारत सरकार से PM CARES FUND में प्राप्त राशि रूपये 49.99 करोड़ में से प्रवासी श्रमिकों के परिवहन, आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा के लिए 35.79 करोड़ रूपये जिलों को आवंटित किये गये।

पशु संरक्षण गतिविधियाँ –

संवत् 2076 में सूखा प्रभावित जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु पशु संरक्षण गतिविधियों का संचालन जैसलमेर जिले में किया गया। जिले मे 490 पशु शिविर स्वीकृत कर 59042 पशुओं को लाभान्वित किया गया।

अतिवृष्टि / बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।
2. मानसून वर्ष 2020 में राज्य में बहने / डूबने के कारण 08 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 03 व्यक्तियों कुल 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) सहायता प्रदान की जा चुकी है।
3. मानसून वर्ष 2020 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास विभाग , शिक्षा विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत / पुर्नस्थापना हेतु 4445 कार्यो के लिये 8212.04 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलेक्टर को स्थायी निर्देश है कि अग्नि दुर्घटना में होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीडितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी जावे। वर्ष 2018–19 में 369.25 लाख रूपयें, वर्ष 2019–20 में 567.00 लाख रूपयें व वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में 152.86 लाख रूपयें की राशि अग्नि पीडित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु व्यय की गयी ।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2020–21 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
2018-19	957.75	319.25	1277.00
2019-20	1005.00	335.00	1340.00
2020-21	1481.00	494.00	1975.00
योग	**8090.27**	**2697.07**	**10787.34**

वर्ष 2015–16 से 2020–2021 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट – 7 पर एवं वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर 2020 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9 पर उपलब्ध है।

Administrative Setup

परिशिष्ट–1

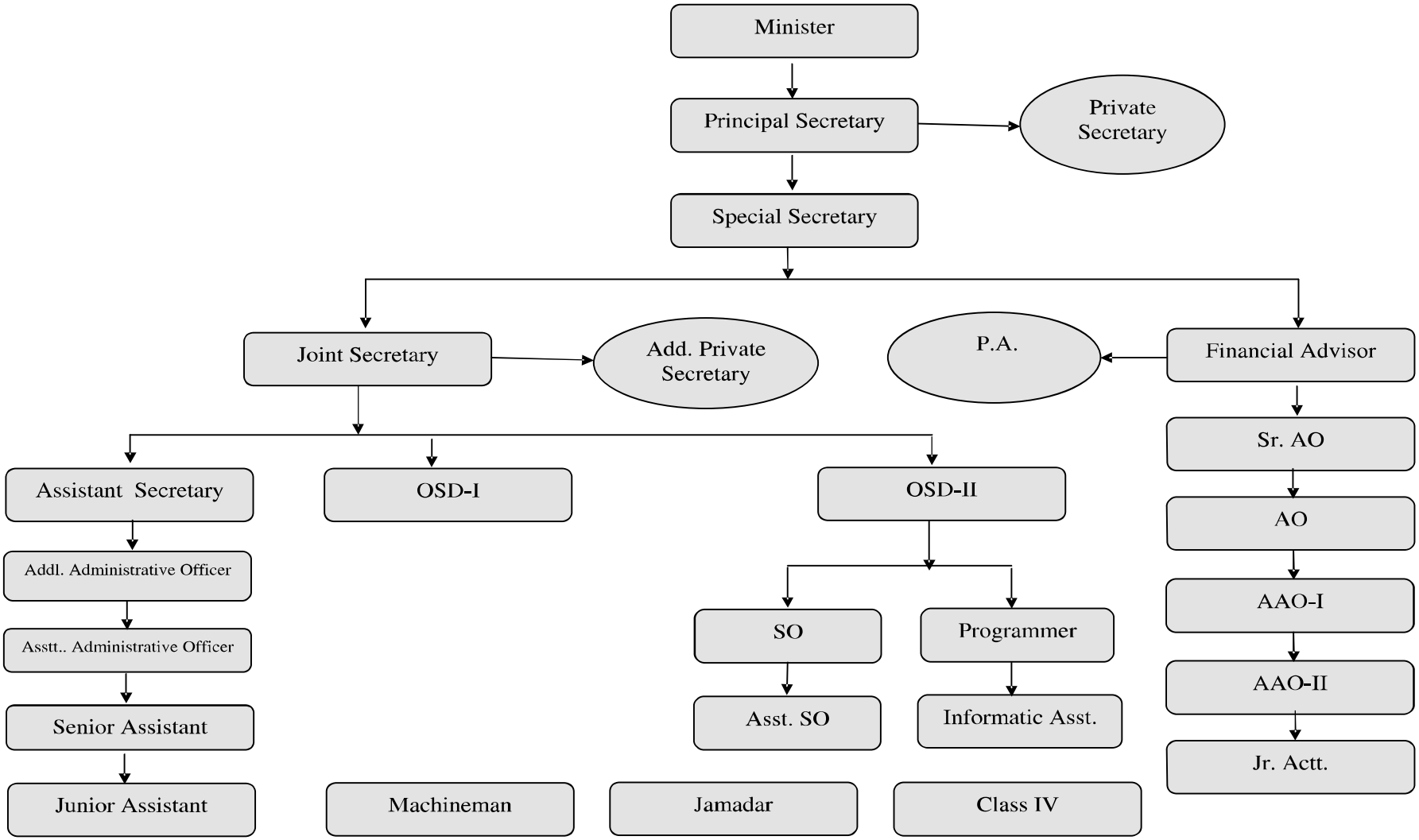

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	प्रमुख शासन सचिव	श्री आनन्द कुमार	02.11.2020
2	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	06.07.2020
3	संयुक्त शासन सचिव	श्रीमती कल्पना अग्रवाल	27.02.2019
4	वित्तीय सलाहकार	श्री एन. एल. शर्मा	25.09.2019
5	शासन सहायक सचिव एवं सहायक आयुक्त	श्री चेतन चौहान	13.08.2019
6	विशेषाधिकारी (2)	श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
		श्री देशराज मीणा	28.04.2015
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री लक्ष्मण प्रसाद कोली	21.08.2020
8	लेखाधिकारी	श्रीमती प्रतिभा निमेश	10.03.2019
9	सांख्यिकी अधिकारी	श्री नीरज कुमार साहू	18.12.2020
10	अतिरिक्त निजी सचिव	श्री दिनेश कुमार सारोलिया	16.09.2016
11	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री शंकरलाल मीणा	15.12.2016
		श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
12	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
13	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	रिक्त	31.07.2020

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रमुख शासन सचिव	1	–
2	विशिष्ट शासन सचिव	1	1
3	संयुक्त शासन सचिव	1	–
4	वित्तीय सलाहकार	1	–
5	सहायक आयुक्त एवं पदेन शासन सहायक सचिव	1	–
6	विशेषाधिकारी– प्रथम	1	–
7	विशेषाधिकारी– द्वितीय	1	–
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	–
9	निजि सचिव	1	–
10	लेखाधिकारी	1	–
11	सांख्यिकी अधिकारी	1	–
12	अति.निजी सचिव	1	–
13	निजी सहायक	1	–
14	प्रोग्रामर	1	–
15	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	2	–
16	अति.प्रशासनिक अधिकारी	1	1
17	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	32	9
18	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	–
19	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	7	–
20	कनिष्ठ लेखाकार	4	1
21	शीघ्र लिपिक	2	2
22	वरिष्ठ सहायक	21	10
23	सूचना सहायक	2	–
24	कनिष्ट सहायक	30	–
25	मशीनमैन	1	–
26	जमादार	3	–
27	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	2

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

1.	मुख्यमंत्री, राजस्थान
2.	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3.	प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
4.	प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5.	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
6.	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7.	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
8.	प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार
9.	प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

1.	कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन (सहायता अनुभाग का भारसाधक)	

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट–7

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	SDRF/NDRF 2015-16	SDRF/NDRF 2016-17	SDRF/NDRF 2017-18	SDRF/NDRF 2018-19	SDRF/NDRF 2019-20	SDRF/NDRF 2020-21 (Upto 31-12-2020)
1	3	4	5	6	7	7
(A) SDRF						
Opening Balance	288.02	209.40	326.05	83.27	670.76	2096.22
Central Share	827.25	868.50	912.00	861.98	1100.77	740.50
State Share	275.75	289.50	304.00	319.25	335.00	247.00
Receipt from Interest	-	22.17	50.08	58.69	42.12	-
Received from GOI	1378.13	990.82	301.65	832.26	1164.99	853.25
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	-	-	31.50	-	-
Total Funds Available under SDRF	2769.15	2380.39	1893.78	2186.95	3313.64	3936.97
Expenditure	**2559.75**	**2054.34**	**1810.51**	**1516.19**	**1217.42**	**1465.55***
Closing Balance	**209.40**	**326.05**	**83.27**	**670.76**	**2096.22**	**2471.42**
(B)NDRF	-	-	-	-		-
Opening Balance	-	-	-	-		-
Receipts	-	-	-	-	-	-
Total Fund Available under NCCF	-	-	-	-	-	-
Allotment Made	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	-	-	-	-	-	-
Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)	**209.40**	**326.05**	**83.27**	**670.76**	2096.22	2471.42

* Amount of Allotment

परिशिष्ट–8

वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2017–2018	वर्ष 2018–2019	वर्ष 2019–2020	वर्ष 2020–2021 (दिनांक **31-12-2020** तक आवंटित राशि)
1	2	4	5	5	6
1	अनुग्रह सहायता	-0.71	-	-	-
2	पीने के पानी की आपूर्ति	73.20	726.32	742.47	615.21
3	चारा परिवहन	0.92	-	468.61	620.18
4	पशु पोषण केन्द्र	-	-	45.11	-
5	पशु शिविर / गौशाला	13183.55	2439.37	3545.75	252.60
6	पशु चिकित्सा	-	-	-	-
7	दवाओं की पूर्ति	-	-	-	-
8	अन्य विशेष राहत कार्य	-	-	-	-
9	अग्नि सहायता	741.53	369.25	567.00	320.44
10	सर्च एवं रेस्क्यू व सयंत्र	365.65	37.74	1452.05	7917.11
11	कृषि आदान अनुदान	114419.72	150885.87	30794.68	11302.68
12	आपात परिचालन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण	-	-	-	364.39
13	प्रशिक्षण	-	-	24.69	267.06
14	अन्य सहायता	349.36	18.24	963.70	-
	योग	**129133.22**	**154476.79**	**38604.06**	**21659.67**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष			
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (दिनांक 31-12-2020 तक आवण्टित राशि)
1	2	4	5	5	6
1.	आनुग्रहिक राहत कपड़ा बर्तन	468.65	6.64	117.50	1.99
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	-	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	6950.58	-	3310.98	11123.68
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	1048.98	488.01	319.69	2160.11
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	-	80.88
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	-	-	-	3.01
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	245.50	279.00	550.77	108.00
11.	घरों की मरम्मत	2928.08	124.54	3397.53	198.17
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	9636.47	2212.01	3045.85	13475.65
13	बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	29733.04	(-)7272.24	53261.41	27680.80
14	डिसिल्टिंग	-	-		82.00
15.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	528.49	26.56	(-) 3.19	22.54
16.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	259.01	1179.32	129.49	881.44
17.	अन्य सहायता (हेलिकाप्टर)	119.56	98.25	-	-
18.	अन्य सहायता अंगभग गम्भीर चोट एवं आवश्यक वस्तुए	-	-	-	7.63
19	शीतलहर से प्रभावितों का कृषि आदान अनुदान	-	-	350.64	751.96
20	किट पतंगा आक्रमण से प्रभावितो को कृषि आदान अनुदान	-	-	12146.85	2713.93
21	महामारी (कोविड–19)	-	-	6510.67	65603.10
	योग	**51918.36**	**(-)2857.91**	**83138.19**	**124894.89**

List of Nodal Departments

S.No.	**Name of Nodal Department**	**Related Disaster**
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack
13.	Animal Husbandry	Epidemic in Animal Population

परिशिष्ट–11 (अ)

फसल खरीफ सम्वत 2077 (सूखा) सन् 2020–21 में फसल खराबे के संबंध में प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गावो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गावो की संख्या 33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत व अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत व अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	बाडमेंर	2849	386	2.46	2382161	1498000	148489	46	273	67	63	13788	1907	1907	8.72
2	बीकानेर	958	305	4.91	2592541	1366679	358621	129	138	38	132	79385	0	0	8.79
3	जैसलमेर	852	255	2.36	3177534	724991	163270	11	122	122	216	12154.12	0	0	2.58
4	झालावाड	1640	834	7.29	381160	344333	198497	173	661	0	321	51367.33	0	0	5.03
5	पाली	1067	122	3.27	834176	548153	86948	25	14	83	41	43967.3	0	0	0.92
6	प्रतापगढ	1014	160	1.33	208091	191394	34796	0	160	0	0	15708	224854	0	0.40
Total		**8380**	**2062**	**21.62**	**9575663**	**4673550**	**990621**	**384**	**1368**	**310**	**773**	**216369.75**	**226761**	**1907**	**26.44**

परिशिष्ट–11 (ब)

फसल रबी सम्वत् 2076 सन् 2019–20 में फसल खराबे के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन (ओलावृष्टि)

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गावो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गावो की संख्या 33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत व अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत व अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	अलवर	2110	135	13.30	546492	471444	39407.46	101	33	1	752	30970.56	2104465	533654	6.53
2	बाडमेर	2807	101	0.51	2378156	393387	9570	51	50	0	39	5015.79	10	10	0.47
3	भरतपुर	1586	296	0.00	411917	377899	81787.21	46	63	187	569	55795.4	807797	795695	0.00
4	बीकानेर	958	2	0.24	2592541	739977	309	2	0	0	9	496	0	0	0.00
5	बूंदी	895	1	0.01	327216	250825	39	1	0	0	0	5.26	0	0	0.01
6	दौसा	1139	65	1.21	243040	172328	5656	50	1	14	111	7464	0	0	0.47
7	गंगानगर	3060	31	0.04	946903	711326.68	1534.88	31	0	0	270	2671.67	0	0	0.00
8	हनुमानगढ	1917	23	0.67	887826	721792	15339	10	13	0	176	1231	0	0	0.06
9	जयपुर	2434	73	0.79	797177	467265	4021.73	33	23	17	0	680.79	110198	110198	0.35
10	जैसलमेर	846	34	0.35	3613457	417181.13	2197	2	23	9	0	1446	0	0	0.25
11	जोधपूर	1906	8	0.24	1483233	467904.18	1600.01	2	6	0	50	1144	0	0	0.38
12	करोली	902	9	0.36	216043	180774	1710	2	7	0	162	1226	0	0	0.19
13	नागौर	1655	66	1.83	1419131	607431	21535	6	58	2	115	27188	303039	265794	0.02
14	स. माधोपुर	831	5	0.04	320207	269496	671	4	1	0	10	609.57	4792	0	0.00
15	सीकर	1203	12	0.17	619280	263445	2008	8	0	4	0	723	16169	0	0.06
Total		**24249**	**861**	**19.76**	**16802619**	**6512475**	**187385.29**	**349**	**278**	**234**	**2263**	**136667**	**3346470**	**1705351**	**8.79**

परिशिष्ट–11 (स)

फसल रबी सम्वत् 2076 सन् 2019–20 में फसल खराबे के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन (टिड्डी)

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गावों की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गावों की संख्या 33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत व अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत व अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	बाडमेंर	2807	186	3.00	2378156	393387	43966.34	45	84	57	184	12391	31949	46	2.42
2	बीकानेर	958	2	0.43	2592541	739977	3887.40	2	0	0	31	2155	0	0	0.00
3	गंगानगर	3060	11	0.08	946903	711326.68	1677.38	4	0	7	37	502.68	0	0	0.02
4	जैसलमेंर	846	217	1.50	3701398	453161	51718	26	96	95	11	19028.40	0	0	0.00
5	जालोर	822	111	2.87	866813	343006	53449	10	26	75	98	21461	0	0	1.11
6	जोधपुर	1906	26	0.89	1483233	467904.2	2213.32	13	12	1	34	2203	0	0	0.70
7	पाली	1067	8	0.01	845527	346918	355.47	8	0	0	4	158.53	10478	10478	0.01
8	सिरोही	520	0	0.00	229124	60968	12.40				9	10.23			
	Total	**11986**	**561**	**8.78**	**13043695**	**3516648**	**157279.31**	**108**	**218**	**235**	**408**	**57909.8**	**42427**	**10524**	**4.26**